राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1631/2013/बीकानेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग,
घट–तृतीय, वृत–बी, बीकानेर। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मदन इलेक्ट्रीक वर्क्स, बीकानेर। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता ....अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.दौसाया,
अधिवक्ता ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 2/आरवेट/बीकानेर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत कायम मांग राशियां को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा तिमाही रिटर्न प्रथम एवं द्वितीय देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत शास्ति रूपये 5697/– अरोपित की गई तथा देयकर कम जमा कराने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 687/– आरोपित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए विवादित मांग राशियों को अपास्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण दिनांक 09.03.2011 में कहा है कि जिन व्यवहारियों ने कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के समस्त रिटर्न एवं देय कर दिनांक 31.03.2011 तक जमा करा दिया है, उन पर आरोपित शास्ति एवं ब्याज माफ कर दिया

लगातार..............2

जायेगा। लेकिन फिर भी सशक्त अधिकारी ने कर कम जमा मानते हुए प्रत्यर्थी को दिनांक 31.03.2011 के लाभ से वंचित करते हुए उस पर शास्ति व ब्याज का आरोपण किया है। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी पर शास्ति एवं ब्याज आरोपण से पूर्व किसी प्रकार का विशिष्ट कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया तथा प्रत्यर्थी का कर निर्धारण स्व कर निर्धारण योजना के तहत पारित किया गया है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से करारोपण से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में जो कर दायित्व बना, उसी अनुसार कर जमा कराया था, लेकिन सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के पिछले वर्ष में शेष रही आईटीसी में से किसी राशि ब्याज अथवा शास्ति की वसूली करने के कारण इस वर्ष में कर जमा होना मानते हुए प्रत्यर्थी को उक्त स्कीम का लाभ नहीं दिया है, जो अनुचित था। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया गया। मूल पत्रावली में उपलब्ध वेट—10ए के क्रमांक 4 के 1.8 कॉलम में गतवर्ष में शेष रही आईटीसी रूपये 2877/— दर्शायी है तथा इस वर्ष में आईटीसी रूपये 25180/— क्लेम की गई है कुल आईटीसी रूपये 28057/— क्लेम की गयी है तथा नकद रूपये 14,330/— जमा कराये गये है तथा वेट 10ए में अंकित देयकर व चुकाये गये कर अथवा गत वर्ष का दर्शाया गया आगत कर के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल देयकर रूपये 39500/— में से रूपये 39842/— जमा कराया जाना स्पष्ट है, जो 442/— रूपये अधिक जमा है। अतः इस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2011 एवं तदनुरूप राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.12(25)FD/Tax 11-169 दिनांक 30.03.2011 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार वर्ष 2009—10 से संबंधित समस्त रिटर्न एवं देयकर दिनांक 30.09.2011 तक जमा होने पर शास्ति एवं ब्याज माफ करने की शर्त की पूर्ति हो जाती है। गतवर्ष के कर निर्धारण के समय सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा दर्शायी अतिरिक्त आगतकर को इस वर्ष के लिए अग्रेषित करने की राशि में कमी कर दी है, तब यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी ने इस अवधि में देयकर जमा नहीं कराया है। प्रत्यर्थी के अनुसार देयकर उसके द्वारा 30.09.2011 से पूर्व में जमा कराया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया जाना अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित प्रतीत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित किया गया।

8.11.2016

(मदन लाल)
सदस्य